संख्या-3/2024/बी-3-32-2024-100(4)/2002 ब0मै0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 मार्च, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आय-व्ययक में सम्मिलित एकमुश्त प्रावधानों से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की प्रक्रिया बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 में दी गई है। बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्था के अधीन वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002-ब0मै0, दिनांक 21.11.2017, शासनादेश संख्या-3/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2002- ब.मै., दिनांक 10.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-3/2023/बी-3-495/दस-2023-100(4)/2002 ब0मै0, दिनांक 14.06.2023 निर्गत किये गये हैं।

2- गत वर्षों में यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा एकमुश्त प्रावधान से कराये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार किये जाने में प्राय: काफी विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण वित्तीय स्वीकृतियॉ भी विलम्ब से निर्गत हो पाती हैं जिसका प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में जहॉ कहीं भी विभागीय अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान कराये गये हैं, उनकी कार्ययोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही अभी से प्रारम्भ कर दी जाय, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में एकमुश्त प्रावधानों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने में विलम्ब न हो।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2024/बी-3-32(1)/दस-2024 -100(4)/2002 ब0मै0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वतीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
3. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in